

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

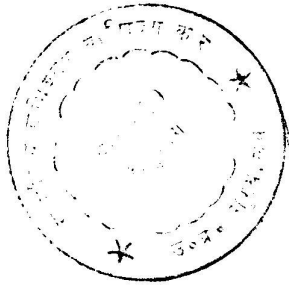
उपस्थित:- श्री दीपक कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री सनसाइन फ्लेवर्स नूरपुर इण्डो एरिया, चाँदपुर, बिजनोर
प्रा०प०सं०:- 348 /2008
प्रार्थी की ओर से श्री अरुणेश बाजपेई, एडवोकेट ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

- 1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19-08-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें माऊथ फेशनर पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।
- 2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री अरुणेश बाजपेई, एडवोकेट उपस्थित हुए बताया कि मीठा मिक्सचर की खरीद पंजाब तथा दिल्ली से करते हैं। प्रान्त बाहर से आयत किए गए मीठा मिक्सचर को चार चार ग्राम के पाऊच में पैक करके टोजो टैंगी माऊथ फेशनर के नाम से इसकी बिक्री की जाती है। इसमें खजूर, सौंफ, खरबूजा व धनिया के बीज, इलायची दाना, केसर, गरी, मिश्री व हर्ब्स का मिश्रण होता है। इसमें मिश्री खरबूजा व धनिया के बीज करमुक्त हैं, व शेष पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है अतः माऊथ फेशनर उक्त वस्तुओं का मिश्रण होने के कारण इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए।
- 3- मैंने धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया। माऊथ फेशनर शिडयूल-1, 2, 3, व 4 में वर्गीकृत न होने के कारण शिडयूल-5 के अन्तर्गत इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।
- 4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।
- 5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक: सितम्बर 18 2008

ह० 18-9-2008
(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।



वै. म. प्र. इ.-1
प्रमाणित प्रतिलिपि
वाणिज्य कर, लखनऊ